संख्या- 187 /2021/ 2018 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्त्व,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2021**

विषयः- कुम्भ पूर्व वैष्णव बैठक, वृन्दावन, मथुरा में किये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए अवशेष व्यय की कार्योत्तर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1034/ सं0नि0-15(77)/2020-21 टी0सी0, दिनांक 16 अगस्त, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ पूर्व वैष्णव बैठक, वृन्दावन, मथुरा में किये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय की अवशेष धनराशि रू0 41,50,991.00 लाख (रूपये इकतालिस लाख पचास हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उक्त कार्यक्रम में व्यय की गयी धनराशि में वित्तीय नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी का होगा।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्त्व)
अनु सचिव।

संख्या 187 /2021/ 2018 (1)/चार-2021 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्त्व)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in